यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर** के माह 05/2016 से माह 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अशोक कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 30.08.2017 से 12.09.2017 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मकः**– इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री सुनील कुमार सिंहा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री अरिन्दम चटर्जी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 22.05.2016 से 01.06.2016 तक श्री डी0 एन0 मिश्रा, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2014 से माह 04/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2016 से 07/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः–** इकाई द्वारा जनपद के अन्तर्गत जनपद के अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं समाज के कमजोर वर्ग आदि के उत्थान के लिए विभिन्न पेन्शन योजनाओं, छात्रवृत्ति, शादी विमारी, अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रावास एवं अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास आदि योजनाओं के माध्यम से कार्य किया जाता है।

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2015-16	Nil	Nil	144.21	138.88	5.33	7592.63	7566.90	25.73
2016-17	Nil	Nil	167.56	163.27	4.29	9544.13	7517.14	2026.99
2017-18	Nil	Nil	107.42	73.88	33.54	2248.43	1909.70	338.73

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2015–16			2016–17		
	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय	प्रा.अवशेष	प्राप्ति	व्यय
अनु. जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	136.20	136.20	Nil	1257.41	522.98
अन्य पिछडी जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	139.15	134.36	Nil	115.36	11.88
इन्दिरा गांधी राष्टीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	Nil	456.12	456.11	Nil	619.68	305.48
इन्दिरा गांधी राष्टीय विकलांग पेंशन योजना	Nil	13.98	13.61	Nil	16.04	16.02
पारिवारिक लाभ योजना	Nil	70.60	70.60	Nil	123.80	115.80
अनु. जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति	Nil	327.55	327.55	Nil	330.00	33.42

( ) इकाई को बजट आबंटन **निदेशक, समाज कल्याण** (स्त्रोत बताया जाए) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ ...**अ**....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, समाज कल्याण ⟶ निदेशक, समाज कल्याण ~~जिला~~⟶ समाज कल्याण अधिकारी

(संगठनात्मक ढ़ांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्षित किया जाए)

( )**लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः–** लेखापरीक्षा में ..... (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देषों के अनुसार जिन–जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाए) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाए) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। शादी एवं बीमारी योजना, बृद्धावस्था पेंशन योजना, दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, गौरा देबी कन्याधन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाए) का विष्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय (प्रतिचयन विधि का नाम अंकित किया जाए) के आधार पर किया गया।

(स) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग दो (अ)

प्रस्तर– 01 लाभार्थियों के मृत्यु के उपरान्त धनराशि रु0 3.26 लाख के वृद्धावस्था पेंशन का अदेय भुगतान किये जाने तथा धनराशि रु0 73.23 लाख कार्यालय स्तर पर अनावश्यक रुप से अवरुद्ध रखा जाना।

शासनादेश दिनांक 17 जून 2016 के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने का अधिकार सम्बन्धित ग्राम पंचायत में निहित होगा। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में पेंशन स्वीकृति का अधिकार उप जिलाधिकारी में निहित होगा। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार वृद्धाओं के अपने भरण पोषण हेतु आवेदन ग्रामीण क्षेत्र हेतु ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्र के लिए सहायक समाज कल्याण अधिकारी/तहसीलदार को देना होगा जिसमें आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं परिवार रजिस्टर आदि की जॉच के उपरान्त पेंशन स्वीकृत की जाती है। योजनान्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन अनुदान का भुगतान जनवरी 2014 से पूर्व रु0 400 प्रतिमाह की दर से की जाती थी, जनवरी 2014 से रु0 800 प्रतिमाह की दर तथा मई 2016 से रु0 1000 की दर से भुगतान किया जाता है। शासनादेश दिनांक 11 मार्च 2011 के अनुसार पेंशन की राशि का भुगतान त्रैमासिक आधार पर जून, सितम्बर, दिसम्बर तथा फरवरी के अन्त तक किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन नियमावली 1981 के बिन्दु नियम 30 के अनुसार समस्त पेंशनरों की छमाही जॉच कि पेंशनर जिवित है और वर्तमान में भी निराश्रित है कराया जाएगा। यह सत्यापन वित्तीय वर्ष के तुरन्त बाद मास अप्रैल एवं पुनः अक्टूबर माह में की जाएगी जिसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रत्येक वर्ष मई तथा नवम्बर की 15 तारीख तक भेजी जाएगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर के वृद्धावस्था पेंशन अनुदान से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में जनपद के कुल 50631 लाभार्थियों के सापेक्ष धनराशि रु0 6612.50 लाख का व्यय किया गया था। इकाई द्वारा लाभार्थियों के सत्यापन के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि शत प्रतिशत् लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। परन्तु सत्यापन सम्बन्धी अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा प्रेषित ग्राम पंचायतवार सूची में सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन के दौरान मृत्यु अथवा अपात्र होने की दशा में मृत्यु का दिनांक तथा अपात्र हाने का दिनांक दर्शित नहीं किया जाता जबकि प्रेषित प्रारुप में मृत्यु के दिनांक अंकित किये जाने का उल्लेख किया गया है। यह भी पाया गया कि इकाई द्वारा प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों का विधिवत सत्यापन नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरुप कार्यालय को यह पता ही नहीं चल पाता कि पेंशन के रुप में निर्गत की जा रही धनराशि वास्तविक रुप से पात्र एवं जिवित लाभार्थी को ही प्रदान की जा रही है अथवा नहीं। कार्यालय के पास इस तरह का कोई तंत्र/अभिलेख विद्यमान नही है जो यह सुनिश्चित कर सकें कि त्रैमासिक भुगतान किये जाने से पूर्व मृत्यु की सूचना तिथि सहित कार्यालय को प्राप्त हो रही हो। वर्ष 2017–18 में सत्यापन/सामाजिक अंकेक्षण में

मृत पाये गये लाभार्थियों, जिनकी मृत्यु का दिनांक दर्शित है की जॉच में पाया गया कि उनको मृत्यु के उपरान्त भी 07 से 72 माहों तक लगातार पेंशन का भुगतान कार्यालय द्वारा किया गया है। विवरण निम्नवत् है;

क्र. सं.	लाभार्थी का नाम	लाभार्थी संख्या	मृत्यु का दिनांक	माह तक किया गया पेंशन भुगतान	अधिक भुगतानित माह की संख्या	अधिक भुगतानित पेंशन की राशि
1	महेन्द्र सिंह/लक्ष्मण सिंह	OR35090030 1400100061	30.06.2016	06/2017	12	12000
2	विमला देबी/कुवर सिंह	OR 35090060 2800100070	18.11.2016	06/2017	07	7000
3	भीम सिंह/पूरन सिंह	USN-18688	30.05.2012	12/2016	55	38000
4	किशोरी सिंह/राजा राम	USN-18693	24.11.2014	12/2016	25	24000
5	प्रीतम सिंह/नादर सिंह	USN-18699	05.11.2015	12/2016	13	12000
6	देवी प्रसाद/राम चरन सिंह	USN-18705	17.05.2014	12/2016	28	26400
7	केदार सिंह/संतरी	USN-18717	25.12.2012	12/2016	45	34800
8	जगदीश सिंह/राम स्वरुप सिंह	USN-18723	03.11.2016	06/2017	07	7000
9	भागवत सिंह/लाल दास सिंह	USN-18730	11.10.2013	12/2016	38	30800
10	उजागर सिंह/गहना सिंह	USN-18732	30.05.2015	12/2016	19	16800
11	बसन्त सिंह/चेत राम	USN-18925	22.12.2010	12/2016	72	44400
12	सूखी देबी/प्रसादी देबी	USN-22315	06.10.2014	12/2016	26	21400
13	चेतराम/रंजीत	USN-30223	28.08.2014	12/2016	28	24000
14	लक्ष्मण सिंह/जागर सिंह	OR35090030 0800100039	09.04.2014	12/2016	32	27200
	कुल योग					**325800**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि यदि लाभार्थी का प्रत्येक वर्ष विधिवत सत्यापन किया गया होता तो लाभार्थियों को मृत्यु के उपरान्त 72 माह अर्थात 6 वर्ष तक लगातार पेंशन के अदेय भुगतान से बचा जा सकता था। इस प्रकार से इकाई द्वारा मृत्यु के उपरान्त धनराशि रु0 3.26 लाख का अदेय भुगतान किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त लाभार्थियों के मृत्यु के उपरान्त उनके खाते में प्रेषित राशि बैंकों द्वारा जिला समाज कल्याण अधिकारी को वापस की जाती है जिसे कार्यालय के संचालित बैंक खाते में जमा किया गया था। बैंक विवरणी के अनुसार माह अगस्त 2017 के अन्त में धनराशि **रु0 73.23 लाख** इस प्रकार के वापसी की धनराशि जमा पायी गयी। जिसमें से रु0 37.49 लाख वर्ष 2016–17 से वर्तमान तक के अवधि में वापस की गयी है। वापसी की धनराशि शासन को समर्पित न कर अनावश्यक रुप से कार्यालय स्तर पर अवरुद्ध रखा गया था। यह भी पाया गया कि वर्ष 2016–17 से सभी लाभार्थियों को कोषागार से सीधे आनलाईन माध्यम से पेंशन का भुगतान किया जा रहा था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि सत्यापन सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा मृत्यु की सूचना न देने के कारण सन्दर्भित लाभार्थियों को मृत्यु के उपरान्त

भुगतान किया गया परन्तु मृत्यु की सूचना प्राप्त होते ही इनकी पेंशन बन्द कर दी गयी है तथा नियमानुसार अधिक की गयी भुगतान की वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। अवरुद्ध धनराशि के सम्बन्ध में अवगत कराया कि आवश्यकतानुसार धनराशि रोकते हुए शेष धनराशि यथाशीघ्र शासन को समर्पित कर दी जाएगी। इकाई का उत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं होता क्योंकि यदि प्रत्येक वर्ष लाभार्थियों का विधिवत सत्यापन किया जाता तो मृत्यु के उपरान्त लगातार 07 वर्ष तक अदेय पेंशन भुगतान से बचा जा सकता था।

अतः लाभार्थियों के मृत्यु के उपरान्त धनराशि रु0 3.26 लाख के वृद्धावस्था पेंशन का अदेय भुगतान किये जाने तथा धनराशि रु0 73.23 लाख कार्यालय स्तर पर अनावश्यक रुप से अवरुद्ध रखे जाने सम्बन्धी प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग – 2 (ब)

प्रस्तर : 1- शिक्षण संस्थान के मांग सूचि में लाभार्थीओ का नाम न होने के उपरांत भी भिन्न भिन्न कोर्स के लिए अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति के रूप में ₹ 16.74 लाख का अनियोमित भुगतान।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक नवम्बर 2014 के बिंदु सं 10 के अनुसार शिक्षण संस्थान द्वारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से Proposal (छात्र की सूचि) generate कर इसकी हार्ड कॉपी को सम्बंधित जनपद के समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय को नियत अवधि में अग्रसारित करना होगा एवं बिंदु सं 12 के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कार्यालय में प्राप्त नवीन/नाबिनीकरण ऑनलाइन छात्र सूची को जाँच हेतु सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। सहायक समाज कल्याण अधिकारी संस्थान में जाकर सूचि में अंकित छात्रों के भौतिक सत्यापन करेगा साथ ही अपनी जाँच आख्या जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायगी। इसके उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ई –पेमेंट के माध्यम से सीधे लाभार्थियो के सी. बी. एस बैंक खाते में छात्रवृत्ति की भुगतान किया जायेगा।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर के अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया की 03 शिक्षण संस्थान Droan College of Education Technology, Rudrapur, Droan College of Nursing, Rudrapur एवं Saraswati Institute of Management and Technology, Rudrapur की 37 छात्र/छात्राए को वर्ष 2016-17 में कुल ₹ 16.74 लाख छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चूका है जबकि शिक्षण संस्थान के मांग सूचि में उन लाभार्थियो का नाम नही है :-

Sl. No	Name of the College	Student name	Caste	Course	Amount
1	Droan College of Education Technology, Rudrapur	Aporv Sarkar	SC	BBA	40300
		Divyendu Mandal	SC	BBA	40300
		Jeevan Mandal	SC	BBA	40300
		Karishma Mandal	SC	BBA	40300
		Naini Barai	SC	BBA	40300
		Rakesh Kumar Mandal	SC	BBA	40300
		Sujeet Sarkar	SC	BBA	40300
		Viplav Mandal	SC	BBA	40300
		Avinash Kumar Mandal	SC	BBA	41300
		Rakesh Roy	SC	BBA	40300
		Ramesh Sarkar	SC	BBA	40300
		Ratna Dhali	SC	BBA	40300
		Rohidas Sarkar	SC	BBA	40300
		Santosh Prasad	SC	BBA	40300
		Vikram Sarkar	SC	BBA	40300
2	Droan College of Nursing, Rudrapur	Latika Sarkar	SC	GANM-3	5300

3	Saraswati Institute of Management and Technology, Rudrapur	Devki	ST	B.Ed	58300
		Anand Singh	ST	B B A-1	36360
		Km Rakhi	ST	B B A-1	36360
		Rajat Singh	ST	B B A-1	36360
		Dharampal Singh	ST	B B A-1	36360
		Rajpal Singh	ST	B B A-1	36360
		Bheem Sen Singh	ST	B C A-1	36360
		Aniket Singh Rana	ST	B C A-1	36360
		Madan Rana	ST	B C A-1	36360
		Manish Singh	ST	B C A-1	36360
		Ajay Singh	ST	MBA	61600
		Bimla Devi	ST	MBA	61600
		Jogender Singh	ST	MBA	61600
		Kalawati Kalawati	ST	MBA	61600
		Km Reshma	ST	MBA	61600
		Maan Singh	ST	MBA	61600
		Mohan Singh	ST	MBA	61600
		Rajveer Singh	ST	MBA	61600
		Jeet Singh	ST	MBA	61600
		Kanhai Singh	ST	MBA	61600
		Sonu Singh	ST	MBA	61600
				Total	**1673940**

लेखापरीक्षा के दौरान पूछे जाने पर आपत्ति पर सहमत प्रदान करते हुए कार्यालय द्वारा बताया गया है की सम्बंधित शिक्षण संस्थान से सूचि प्राप्त कर लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध करा दिया जायेगा । अतः शासनादेश का उल्लंघन कर बिना मांग सूचि प्राप्त किये 37 लाभार्थियो को ₹ 16.74 लाख छात्रवृत्ति के रूप में अनियमित भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर– 2. पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत धनराशि रु0 37.60 लाख के 188 चेकों का वितरण वर्तमान तक न किया जाना तथा 100 लाभार्थियों को लाभान्वित न किया जाना।

केन्द्र पोषित पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत जनपद के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य कमाउॅ व्यक्ति (महिला या पुरुष) की मृत्यु होने पर जिसकी मृत्यु के समय आयु 18 वर्ष से अधिक अथवा 60 वर्ष से कम हो को एकमुश्त सहायता राशि रु0 20,000 दिये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को बी0 पी0 एल0 अथवा अधिकतम वार्षिक आय रु0 12000 तक होना चाहिए। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

पारिवारिक लाभ योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में क्रमशः रु0 70.60 लाख तथा 123.80 लाख का आवंटन प्रदान किया गया था। जिसके सापेक्ष उपरोक्त वर्षो में धनराशि रु0 166.40 लाख का व्यय करते हुए क्रमशः 353 एवं 479 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया था। कार्यालय द्वारा आवंटित धनराशि को कोषागार से आहरित कर संचालित बैंक खाते में रखा जाता है तद्उपरान्त प्रत्येक पात्र लाभार्थी को चेक के माध्यम से भुगतान किया जाता है। वर्ष 2016–17 के 479 लाभार्थियों को भुगतान किये जाने सम्बन्धी अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि दिनांक 31.03.2017 को 368 लाभार्थियों तथा दिनांक 25.05.2017 को 111 लाभार्थियों को भुगतान किये जाने के लिए चेक काटा गया था। जिसे इकाई द्वारा दोनो प्रकरणों में एक माह से अधिक समय तक अनावश्यक रुप से अपने पास रखने के उपरान्त क्रमशः अपने पत्र दिनांक 05 मई 2017 एवं 31 जून 2017 के माध्यम से विकास खण्डों में तैनात सहायक समाज कल्याण अधिकारियों को चेक लाभार्थी को उपलब्ध कराने के लिए प्रदान किया गया था साथ ही यह निर्देशित किया गया था कि लाभार्थियों को चेक उपलब्ध कराते हुए प्राप्ति रसीद जनपद कार्यालय को उपलब्ध करावें ताकि चेक की धनराशि लाभार्थी के नाम खारिज की जा सके।

सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत प्राप्ति रसीद की जॉच में पाया गया कि लेखापरीक्षा तिथि (अगस्त 2017) तक अधिकतर लाभार्थियों को चेक वितरित नहीं किया गया था। वर्ष 2016–17 के स्वीकृत लाभार्थियों से सम्बन्धित चेक वितरण का विकास खण्ड वार विवरण निम्नवत् है;

विकास खण्ड	वितरण हेतु उपलब्ध करायी गयी चेकों की संख्या			वितरित चेकों की संख्या/प्रतिशत
	दिनांक 31 मार्च को काटे गये चेक	दिनांक 25 मई को काटे गये चेक	कुल	
खटीमा	50	25	75	73 (97%)
बाजपुर	45	11	56	43 (77%)
रुद्रपुर	60	36	96	29 (30%)
गदरपुर	79	2	81	09 (11%)
सितारगंज	45	22	67	66 (99%)
जसपुर	54	1	55	53 (96%)

काशीपुर	35	14	49	18 (37%)
कुल योग	**368**	**111**	**479**	291 (43%) [61%]

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 479 लाभार्थियों के सापेक्ष वर्तमान तक सम्बन्धित सहायक कल्याण अधिकारियों द्वारा केवल 291 चेकों (61 प्रतिशत) का ही वितरण किया गया था जबकि चेक की वैधता अवधि तीन माह व्यतीत हो चुकी थी। विकास खण्ड गदरपुर एवं काशीपुर में चेकों का वितरण सबसे कम अर्थात केवल 07 एवं 37 प्रतिशत तक ही किया गया था। कार्यालय द्वारा बैंक समाधान विवरण भी नहीं तैयार किये जाने के कारण यह सुनिश्चित किया जा सका कि काटे गये चेकों का भुगतान वास्तव में लाभार्थी को हुआ है अथवा नहीं। इस प्रकार से वर्ष 2016–17 के 188 लाभार्थियों के धनराशि रु0 37.60 लाख के चेक सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा वर्तमान तक वितरित नहीं किये गये। इससे स्पष्ट होता है कि सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा शासकीय दायित्वों के निर्वहन में उदासीन रवैया अपनाया जा रहा था। वर्ष 2015–16 में 353 लाभार्थियों को भुगतान के लिए काटे गये चेकों का वितरण के सम्बन्ध में कोई भी अभिलेख नहीं पाये गये। अभिलेखों की जॉच में यह भी पाया गया कि वर्ष 2016–17 के 100 पात्र लाभार्थियों को वर्तमान तक लाभान्वित नहीं किया गया था जबकि उक्त अवधि में कार्यालय स्तर पर धनराशि उपलब्ध था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने आपत्ति को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में अवगत कराया कि 100 लाभार्थियों के सम्बन्ध में देयक का कोषागार से आहरण न होने के कारण भुगतान नहीं हो सका तथा बजट आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। काटे गये चेकों का वितरण लाभार्थियों को ससमय न किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया कि शेष चेकों का वितरण यथाशीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। वर्ष 2015–16 के चेकों के वितरण के सम्बन्ध में अवगत कराया कि सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी से सूचना प्राप्त कर लेखापरीक्षा को उपलब्ध करायी जाएगी। यह भी अवगत कराया कि भविष्य में लाभार्थियों का आनलाइन भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। लेखापरीक्षा को उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जनपद स्तर पर काटे गये चेकों का ससमय वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए था जो इकाई द्वारा नहीं किया गया।

अतः पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत धनराशि रु0 37.60 लाख के 188 चेकों का वितरण वर्तमान तक न किये जाने तथा 100 लाभार्थियों को लाभान्वित न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर– 3 कार्यरत कार्मिकों की आयकर मद में धनराशि रु0 37240 की आयकर की कम जमा किया जाना।

आयकर अधिनियम 2016–17 के नियम 10 (13A) के प्रावधानों के अनुसार मकान किराया भत्ता में छूट निम्नानुसार दिया जाना प्रावधानित है; 1. प्राप्त वास्तविक मकान किराया भत्ता, 2. मूल वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक भुगतान की गयी किराये की धनराशि या, 3. अन्य शहरों में निवास करने वाले कार्मिक के लिए मूल वेतन की 40 प्रतिशत की धनराशि। उपरोक्त में सबसे न्यूनतम राशि को आयकर में छूट प्रदान की जाएगी तथा छूट प्राप्त करने के लिए किराये के रुप में वास्तविक भुगतान किये गये किराये की राशि के बिल प्रस्तुत करने होगे। नियम 80C (13) के अनुसार शिक्षण शुल्क में विद्यालय विकास शुल्क, डोनेशन अथवा कैपिटेशन शुल्क आयकर छूट के दायरे में नहीं होंगे। बीमा प्रीमियम आदि के भुगतान मद में आयकर छूट के लिए भुगतान की गयी राशि के लिए समर्थित साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर के कार्मिकों के आयकर पत्रावली वर्ष 2016–17 की जॉच में पाया गया कि कार्मिकों को मकान किराया मद में छूट प्रदान किया गया है परन्तु उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार आयकर में छूट के लिए गणना नहीं किया गया है और न ही कार्मिकों द्वारा किराया भुगतान की रसीद लगाई गयी है। इस प्रकार से निम्न विवरणानुसार 04 कार्मिकों द्वारा मकान किराया मद में कुल रु0 8936 आयकर कम जमा किया गया है। विवरण निम्नवत् है,

नाम	पदनाम	मकान किराये में छूट की राशि	10 प्रतिशत की दर से कम जमा की राशि
श्री भुवन चन्द्र जोशी	सहा.समाज कल्याण अधि.	23360	2336
श्री नईम बेग	टनुसेवक	14400	1440
श्री लल्ली राम आर्य	सहा. समाज कल्याण अधिकारी	14400	1440
श्रीमती बीना चन्द्र	व. प्रशा. अधिकारी	37200	3720
कुल योग			**8936**

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न कार्मिकों द्वारा शिक्षण शुल्क, जीवन वीमा प्रिमियम आदि मद में छूट प्राप्त की गयी है जिसके लिए उनके द्वारा प्रिमियम जमा तथा शिक्षण शुल्क जमा के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। विवरण निम्नवत् है;

नाम	पदनाम	मद	छूट की राशि	10 प्रतिशत की दर से कम जमा की राशि
श्री भुवन चन्द्र जोशी	सहा.समाज कल्याण अधि.	शिक्षण शुल्क	95400	9540
श्री मधु सूदन	सहा. समाज कल्याण अधिकारी	शिक्षण शुल्क	103000	10300
श्री लल्ली राम आर्य	सहा. समाज कल्याण अधि.	एल.आई.सी.	12720	1272
		पी.एल.आई.	14100	1410
श्री बंशीधर पंत	अपर सहा. समाज	एल.आई.सी.	7404	740

	कल्याण अधि.	पी.एल.आई.	25000	2500
श्री यतेन्द्र सिंह राणा	वरि. सहायक	एल.आई.सी.	25417	2542
कुल योग				**28304**

उपरोक्त विवरणानुसार कुल 05 कार्मिकों द्वारा शिक्षण शुल्क एवं एल.आई.सी. मद में कुल धनराशि रु0 28304 का आयकर कम जमा की गयी है जिसके लिए उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। श्री यतेन्द्र सिंह राणा, वरि. सहायक द्वारा प्रस्तुत एल.आई.सी. प्रिमियम की संलग्न रसीद की जॉच में पाया गया कि रसीद वर्ष 2013–14 में दिनांक 27.09.2013 की जमा रसीद है जिसके सापेक्ष वर्ष 2016–17 में छूट प्रदान नहीं की जा सकती फिर भी छूट प्रदान की गयी है। इस प्रकार से उपरोक्त दोना प्रकरणों में इकाई द्वारा कार्मिकों के आयकर की कुल धनराशि रु0 37240 की कम कटौती की गयी है। आयकर अधिनियम के नियम 194 बी के अनुसार कम काटी गयी धनराशि के बराबर अर्थदण्ड स्वरुप आरोपित करते हुए धनराशियॉ जमा की जानी अपेक्षित है। कार्यालय के इतने अधिक कार्मिकों के आयकर रिटर्न में त्रुटि होने से यह स्पष्ट होता है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा आयकर अधिनियम के प्रावधानों का पालन किये जाने में उदासीन रवैया अपनाया जाता है।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि सन्दर्भित कार्मिकों की मकान किराये का भुगतान सम्बन्धी साक्ष्य प्राप्त कर तथा जीवन बीमा एवं शिक्षण शुल्क की रसीद प्राप्त कर आयकर की पुनः गणना की जाएगी तद्नुसार वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

अतः कार्मिकों की आयकर मद में धनराशि रु0 37240 की आयकर की कम कटौती किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर : 4 अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में 05 शिक्षण संस्थान के 126 लाभार्थीओ को भिन्न भिन्न कोर्स में धनराशि ₹ 3.64 लाख की अधिक भुगतान

उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 14-11-2014 के बिंदु सं 12 के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कार्यालय में प्राप्त नवीन/नाबिनीकरण ऑनलाइन छात्र सूची को जाँच हेतु सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी।| सहायक समाज कल्याण अधिकारी संस्थान में जाकर सूचि में अंकित छात्रों के भौतिक सत्यापन के अतिरिक्त मुख्य रूप से जाति, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, गत वर्ष में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, सम्बंधित संस्था में संचालित कोर्स की मान्यता एवं कोर्स हेतु निर्धारित फीस स्ट्रक्चर आदि सूचनाओ की जाँच करेगा। सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गए समय के अंतर्गत अपनी जाँच आख्या जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी |जाँच में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा विलम्ब के लिए सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसके उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ई –पेमेंट के माध्यम से सीधे लाभार्थियो के सी. बी. एस बैंक खाते में छात्रवृत्ति की भुगतान किया जायेगा |

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर के वर्ष 2016-17 में भुगतान की गयी वर्ष 2015-16 के बकाया अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में यह देखा गया की 04 शिक्षण संस्थान के 126 लाभार्थीओ को भिन्न भिन्न कोर्स में शिक्षण शुल्क एवं अनुरक्षण मद पर बर्धित रूप से छात्रवृत्ति प्रदान करने के फलस्वरूप धनराशि ₹ 3.64 लाख की अधिक भुगतान का प्रकरण पाया गया जो की निम्नरूप है :-

क्रम सं	शिक्षण संस्थान	कोर्स	लाभार्थी सं	देय छात्रवृत्ति	भुगतानित छात्रवृत्ति	अधिक भुगतान प्रति छात्र	कुल अधिक भुगतान
1	Droan College of Education Technology, Rudrapur	BBA	40	30000	35000	5000	200000
2	Nav Bharat Private ITI, Sitarganj	Fitter	13	9400	17150	7750	100750
3	Hardev Singh Smarak College	B. Ed	29	300	530	230	6670
4	Saraswati Institute of Management and Technology	B. Ed	33 04 04 01	22500 30350 22500 23850	23650 31600 24180 25920	1150 1250 1680 2070	37950 5000 6720 2070
5	Surajmal Laxmi Devi College	B.E/ M.E	02	27750	30250	2500	5000
			126			**Total**	**364160**

लेखापरीक्षा के दौरान पूछे जाने पर कार्यालय के तरफ से आपत्ति पर सहमती जताते हुए बताया गया की सम्बंधित से वसूली की कार्यवाही की जाएगी |

अतः उपरोक्त 05 शिक्षण संस्थान के 126 लाभार्थीओ को भिन्न भिन्न कोर्स में धनराशि ₹ 3.64 लाख की अधिक भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-5- बिना भौतिक सत्यापन के 08 शिक्षण संस्थान के 284 लाभार्थियों को भिन्न भिन्न कोर्स के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति के रूप में रू. 68.58 लाख का अनियमित भुगतान।

उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 14-11-2014 के बिंदु सं 12 के अनुसार जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा कार्यालय में प्राप्त नवीन/नवीनीकरण ऑनलाइन छात्र सूची को जाँच हेतु सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी।| सहायक समाज कल्याण अधिकारी संस्थान में जाकर सूचि में अंकित छात्रों के भौतिक सत्यापन के अतिरिक्त मुख्य रूप से जाति, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, गत वर्ष में उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, सम्बंधित संस्था में संचालित कोर्स की मान्यता एवं कोर्स हेतु निर्धारित फीस स्ट्रक्चर आदि सूचनाओ की जाँच करेगा। सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा निर्धारित किये गए समय के अंतर्गत अपनी जाँच आख्या जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी |जाँच में किसी प्रकार की लापरवाही अथवा विलम्ब के लिए सम्बंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसके उपरांत जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा ई –पेमेंट के माध्यम से सीधे लाभार्थियो के सी. बी. एस बैंक खाते में छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधमसिंह नगर के अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अभिलेखों की जांच में यह देखा गया कि 08 शिक्षण संस्थान के बिना भौतिक सत्यापन किये एवं शिक्षण संस्था के संचालित कोर्स एवं शिक्षण शुल्क की मान्यता की जांच किये रू. 68.58 लाख का भुगतान छात्रवृत्ति एवं शिक्षण शुल्क के मद में किया गया जो की निम्नवत हैः-

छात्रवृत्ति				
क्र.सं.	**शिक्षण संस्थान**	**कोर्स**	**लाभार्थी सं.**	**भुगतानित राशि**
1.	Lamxi College of Education	B.Ed	33	847850
2.	DPS College of Education	B.Ed	20	502000
3.	PDG College of Education	B.Ed	26	631850
4.	Devsthali Vidyapith	B.B.A	29	562350
5.	Devsthali Vidyapith	B. Pharama	32	191200
6.	Saraswati Institute of Management and Technology	B.Ed, BBA, BCA & MBA	21	1063140
।शिक्षण शुल्क				
क्र.सं.	**शिक्षण संस्थान**	**कोर्स**	**लाभार्थी सं.**	**भुगतानित राशि**
1.	Unity Law College, Rudrapur	-	67	1008890
2.	Global Institute of Pharmaceutical Education & Research	-	12	389300
3.	Rudrapur Institute of Technology	-	44	1661440
Total			**284**	**6858020**

लेखापरीक्षा के दौरान पूछे जाने पर कार्यालय के तरफ से आपत्ति पर सहमति जताते हुए बताया गया कि संबंधित सहायक समाज कल्याण अधिकारी से जाँच रिपोर्ट प्राप्त कर लेखापरीक्षा को प्रेषित किया जायेगा एवं भविष्य में जाँच के उपरांत ही भुगतान किया जायेगा। इकाई के उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि सहायक समाज कल्याम अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्थान का भौतिक सत्यापन नहीं करवाया नहीं गया था जो कि शासनादेश को दिशानिर्देशों का उल्लंघन दर्शाता है। प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर– 6- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्य व्यय मद में गैर अनुमन्य मदों पर धनराशि रु0 3.01 लाख का व्यय किया जाना तथा अग्रिम में प्रदान की गयी धनराशि रु0 25000 का समायोजन प्राप्त न किया जाना।

ग्राम्य विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13 मार्च 2014 को जारी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देश के नियम 7 के अनुसार वर्ष के दौरान कुल व्यय के तीन प्रतिशत तक प्रशासनिक मदों पर व्यय निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा सकता है। योजनान्तर्गत अन्य व्यय मदों में निम्न मदों पर व्यय किया जाना अनुमन्य है; पेंशन कार्ड, आवेदन पत्र की छपाई एवं वितरण, विकलांग पेंशन लाभार्थी के प्रमाण पत्र के लिए कैम्प के आयोजन, सूचना, शिक्षा एवं प्रचार के लिए कार्य, नोडल अधिकारी, ग्राम्य विकास के कार्मिकों आदि के प्रशिक्षण एवं प्रबन्ध सूचना तंत्र मदों पर व्यय आदि। इस मद में वेतन, पारिश्रमिक, मानदेय, वाहन क्रय एवं मरम्मत, निर्माण कार्य आदि मदों पर व्यय किया जाना अनुमन्य नहीं है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर के राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्य व्यय के अन्तर्गत वर्ष 2016–17 में किये व्यय सम्बन्धी अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि है। इकाई के भाग एक पंजिका के अनुसार वर्ष 2016–17 में रु0 5.00 लाख की धनराशि अन्य व्यय मद में आवंटन निदेशालय द्वारा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त हुआ था। आगे व्यय सम्बन्धी अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि इकाई द्वारा योजनान्तर्गत गैर अनुमन्य मदों जैसे प्रिंटर क्रय, जनसंवाद, डाक टिकट, मोबाइल रिचार्ज, टेलीफोन बिल, मानदेय, वाहन मरम्मत एवं डीजल क्रय आदि पर व्यय किया गया था। उपरोक्त अवधि में निम्न विवरणानुसार कुल धनराशि रु0 3.01 लाख का व्यय गैर अनुमन्य मदों पर किया गया था। विवरण निम्नवत् है;

क्र.सं.	मद	क्रय/भुगतान का दिनांक	संख्या	धनराशि
1	प्रिंटर	07.01.2017	03	30870
2	प्रिंटर	27.08.2016	01	11550
3	जन संवाद	19.12.2016	5 माह के लिए	10000
4	डाक टिकट	19.12.2016		10000
5	डाक टिकट	06.01.2017		16506
6	मोबाईल रिचार्ज	09.01.2017	07 देयक	2485
7	मानदेय	09.01.2017	10 माह के लिए	83750
8	मानदेय	09.01.2017	08 माह के लिए	92000
9	टेलीफोन बिल	13.01.2017		3664
10	टेलीफोन बिल	11.01.2017		1698
11	डीजल क्रय	12.01.2017		2000
12	वाहन मरम्मत	12.01.2017		6300
13	वेतन सफाई कर्मी	10.01.2017	03 माह के लिए	2700
14	डीजल क्रय	16.01.2017		1000
15	डीजल क्रय	30.01.2017		1950
16	डीजल क्रय	01.02.2017		2000
17	डीजल क्रय	05.02.2017		2000
18	डीजल क्रय	09.02.2017		1000
19	डीजल क्रय	20.02.2017		2000

20	डीजल क्रय	25.02.2017		2000
21	डीजल क्रय	06.03.2017		5000
22	वेतन सफाई कर्मी	17.03.2017		1800
23	डीजल क्रय	16.03.2017		4000
24	डीजल क्रय	20.03.2017		2000
25	डीजल क्रय	24.03.2017		3000
	कुल योग			**301273**

उपरोक्त विवरणानुसार इकाई द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्य व्यय मद में गैर अनुमन्य मदों पर व्यय किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि योजनान्तर्गत अन्य व्यय मद से श्री संजय आर्य को रु0 5000 एवं श्री वच्चू दास राणा, सहायक समाज कल्याण अधिकारी को रु0 20000 कुल धनराशि रु0 25000 दिनांक 19.11.2016 को क्रमशः डीजल क्रय एवं शिविर आयोजन के लिए अग्रिम के रुप में धनराशि प्रदान की गयी थी। परन्तु उनके द्वारा वर्तमान तक उक्त प्रदान की गयी अग्रिम के सापेक्ष समायोजन वाउचर्स प्रस्तुत नहीं किया गया था और न ही कार्यालय द्वारा 09 माह व्यतीत होने के बावजूद भी सम्बन्धित कार्मिक से वसूली की गयी। इस प्रकार इकाई द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्य व्यय मद में गैर अनुमन्य मदों पर धनराशि रु0 3.01 लाख का व्यय किया गया था तथा अग्रिम में प्रदान की गयी धनराशि रु0 25000 का 9 माह व्यतीत होने के बावजूद भी समायोजन प्राप्त नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने आपत्ति को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में अवगत कराया कि कार्यालय के अन्य व्यय मद में धनराशि का आवंटन कम होने के कारण एन.एस.ए.पी. मद से व्यय किया गया तथा भविष्य में अन्य व्यय मद में और अधिक धनराशि की मॉग की जाएगी तद्नुसार व्यय की जाएगी। प्रदान की गयी अग्रिम के समायोजन के सम्बन्ध में अवगत कराया कि समायोजन सम्बन्धितों से प्राप्त कर लेखापरीक्षा को अवलोकित करा दी जाएगी और यदि समायोजन नहीं की गयी हो तो वसूली की कार्यवाही की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्य व्यय मद में दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमन्य मदों पर ही व्यय किया जाना चाहिए था।

अतः राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्य व्यय मद में गैर अनुमन्य मदों पर धनराशि रु0 3.01 लाख का व्यय किया जाना तथा अग्रिम में प्रदान की गयी धनराशि रु0 25000 का समायोजन प्राप्त न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर– 7- गौरा देबी कन्याधन योजनान्तर्गत 820 बालिका को धनराशि रु0 410.00 लाख का भुगतान न किया जाना।

गौरा देबी कन्याधन योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित जारी शासनादेश सख्याः 749/XVII-4/2016-01(135) 2013-टी.सी–1(05/16) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 से योजना के अन्तर्गत आवेदन से लेकर अनुदान स्वीकृत करने तक की समस्त प्रक्रियाओं को आन लाईन माध्यम से किया जाएगा। योजना के अर्न्तगत चयनित

प्रति छात्रा रू 50000 की धनराशि कन्याधन के रूप में स्वीकृत की जायेगी। धनराशि का भुगतान किसी भी राष्ट्रीयकृत बैक अथवा ऐसे शासकीय बैक जो सी बी एस माध्यम से जुडे है में छात्रा के नाम से तीन से पाचॅ वर्ष के अवधि की सावधि जमा (Fixed Deposit) के रूप में रखी जायेगी। दिशानिर्देशों के अनुसार इण्टरमिडिएट परीक्षा का परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिनों के भीतर सम्बन्धित कार्यालय द्वारा एफ0डी0आर0 बनाये जाने हेतु छात्राओं के खाते में आनलाईन धनराशि स्थानान्तरित की जायेगी।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी उधम सिंह नगर के वर्ष 2016–17 के गौरा देबी कन्याधन योजना से सम्बन्धित लेखा अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 1783 प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष धनराशि रु0 516.50 लाख का व्यय करते हुए केवल 1033 बालिकाओं को ही लाभान्वित किया जा सका था। शेष 820 बालिकाओं को वर्तमान तक लाभान्वित नहीं किया जा सका है। विवरण निम्नवत् है;

योजना का नाम	कुल प्राप्त आवेदन पत्र	लाभान्वितों की संख्या	भुगतान हेतु अवशेष लाभार्थी	प्राप्त आवंटन एवं व्यय व्यय धनराशि (रु0 लाख में)
अनुसूचित जाति	831	223	608	111.50
अनुसूचित जनजाति	952	810	212	405.00
कुल योग	**1783**	**1033**	**820**	**516.50**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2016–17 के 820 बालिकाओं को धनराशि रु0 410.00 लाख का भुगतान न कर वर्तमान तक लाभान्वित नहीं किया गया था जबकि दिशानिर्देशों के अनुसार इण्टरमीडिएट परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान कर दिया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि कम बजट आवंटन के कारण सन्दर्भित बालिका को भुगतान नहीं की जा सकी तथा आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान कर दी जाएगी।

अतः गौरा देबी कन्याधन योजनान्तर्गत 820 बालिका को धनराशि रु0 410.00 लाख का भुगतान न किये जाने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर– 8 श्री गुरु चॉद ठाकुर स्मृति सहायता कोष योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि को तीन माह तक अनावश्यक रुप से कार्यालय स्तर पर रखने के कारण व्यय की राशि रु0 3.65 लाख का नुकसान तथा योजना की नियमावली न बनाया जाना।

शासनादेश संख्या 2298/XVII-4/2015-01(109)/ 2015 दिनांक 9 दिसम्बर 2015 द्वारा भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के बंगाली समुदाय के आर्थिक रुप से कमजोर छात्र/छात्राओं

हेतु शैक्षिक उन्नयन के कार्य करने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य के लिए श्री गुरु चॉद ठाकुर स्मृति सहायता कोष का गठन किया गया। दिशानिर्देशों के अनुसार निधि के संचालन हेतु एक समिति होगी जिसका प्रधान कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर होगा। समिति का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण उत्तराखण्ड होगा। समिति की त्रैमासिक बैठक होगी। विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय बैठक आहूत की जा सकेगी। समिति का यह दायित्व होगा कि वह बंगाली समुदाय के आर्थिक रुप से कमजोर छात्रों के शैक्षिक उन्नयन के लिए आवश्यक कार्यक्रम एवं आर्थिक सहायता सम्बन्धी नीति/कार्यक्रम तैयार करें और समाज कल्याण उत्तराखण्ड शासन से प्रत्येक नीति और कार्यक्रम का अनुमोदन प्राप्त करें। शासन द्वारा अनुदानित रकम रु0 2.00 करोड को राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोल कर जमा की जायेगी। नियमावली के उद्देश्य एवं कार्यो के निर्वहन में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति अर्जित ब्याज से की जायेगी।

योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि शासन के निर्देशों के क्रम में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत संत केशर सिंह सहायता स्मृति कोष में उपलब्ध धनराशि रु0 4.50 करोड में से रु0 2.00 करोड की धनराशि श्री गुरु चॉद ठाकुर के नाम से बंगाली वर्ग हेतु छात्रवृत्ति निधि के रुप में उपयोग किये जाने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी उधम सिंह नगर के पत्र दिनांक 23 जनवरी 2017 के माध्यम से रु0 10.00 लाख के 20 चेकों के माध्यम से इकाई को धनराशि रु0 2.00 करोड उपलब्ध करायी गयी थी। कार्यालय को धनराशि प्राप्त होने के दिनांक से तीन माह तक अपने पास अनावश्यक रुप से रखने के उपरान्त दिनांक 11.04.2017 को दिशानिर्देशों के विपरीत अल्मोडा अरबन को–आपरेटिव बैंक लि0 जो कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक की श्रेणी में नहीं है, में सावधि जमा किया गया। कार्यालय स्तर पर 03 माह अनावश्यक रुप से रखे जाने के कारण योजना में सावधि जमा पर 7.30 प्रतिशत की तय ब्याज दर से धनराशि रु0 3.65 लाख ब्याज की राशि का नुकसान उठाना पडा।

आगे जॉच में यह भी पाया गया कि दिशानिर्देशों के अनुपालन में योजनान्तर्गत बंगाली समुदाय के आर्थिक रुप से कमजोर छात्रों के शैक्षिक उन्नयन के लिए आवश्यक कार्यक्रम एवं आर्थिक सहायता सम्बन्धी नीति/कार्यक्रम वर्तमान तक तैयार नहीं किया गया था और न ही शासन से नीति और कार्यक्रम का अनुमोदन प्राप्त किया गया था।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि सम्बन्धित कार्मिक के अवकाश पर होने के कारण धनराशि यथाशीघ्र बैंक में जमा नहीं हो पाया। राष्ट्रीयकृत बैंक में धनराशि जमा न किये जाने के सम्बन्ध में बताया कि सावधि जमा पर 10 बैंकों से ब्याज दर प्राप्त की गयी थी तथा उक्त बैंक द्वारा अधिक ब्याज दिये जाने के कारण उसमें जमा की गयी। यह भी अवगत कराया कि नियमावली बनाये जाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पटल सहायक के अवकाश होने की स्थिति में

दूसरे कार्मिक के माध्यम से धनराशि बैंक में जमा किया जाना चाहिए था जिससे रु0 3.65 लाख ब्याज की धनराशि के नुकसान से बचा जा सकता था।

अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर :1 दशोमोत्तर छात्रवृत्ति मद में विभाग की अवास्तविक निर्णय के कारण वर्ष 2016-17 में ₹ 1134.4 लाख की धनराशि का समर्पण एवं 18799 लाभार्थी बंचित ।

भारत सरकार द्वारा संचालित अनुसूचित जाति / जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओ को दशोमोत्तर छात्रवृत्ति का ऑनलाइन भुगतान उत्तराखण्ड शासन के आदेशानुसार दिनांक नवम्बर 2014 से प्रारम्भ किया गया था।

शासन द्वारा भारत सरकार से आबंटित छात्रवृत्ति की धनराशि निदेशक, समाज कल्याण को प्रेषित किया जाता है ततपश्चात् निदेशालय द्वारा जनपद के मांग के अनुसार धनराशि जनपद स्तर में आवंटित किया जाता है।

कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधमसिंह नगर के छात्रवृत्ति सम्बंधित अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया जो की निम्नबत है :-

मद	2016-17 में कुल बकाया प्राप्त धनराशि	बिगत दो वर्षो के लिए व्यय	समर्पण
अनु: जाति	1257.41	522.98	734.42
अन्य पिछड़ा वर्ग	115.36	11.88	103.47
अनु: जनजाति	330.00	33.42	296.57
योग	**1702.77**	**568.28**	**1134.46**

निदेशालय द्वारा वर्ष 2016-17 के 10/2016 में जनपद को विगत वर्षो के बजट आवंटन के समय यह निर्देश दिया गया था की विगत दोनों वर्षो के अनुसूचित जाति दशोमोत्तर छात्रवृत्ति आवंटन के 50 % का भुगतान किया जाये। 50 प्रतिशत भुगतान के उपरांत माह मार्च में सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी के कारण पोर्टल बंद हो गया एवं इस सिद्धांत के फलस्वरूप धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद ₹ 1134.46 लाख का समर्पण करना पढ़ा।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-17 में प्राप्त आबेदन के सापेक्ष भुगतान सुचना निम्नबत :-

मद	2016-17 में आवेदन प्राप्त	भुगतानित लाभार्थी सं	वंचित लाभार्थी सं
अनु: जाति	11265	3825	7440
अन्य पिछड़ा वर्ग	5258	743	4515
अनु: जनजाति	7059	215	6844
		योग	**18799**

अर्थात, वर्ष 2016-17 में बिगत दो वर्षो की अवितरित धनराशि ₹ 1134.46 लाख का समर्पण साथ ही उस वर्ष में प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष 18799 लाभार्थी को बंचित रहना पढ़ा लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया की माह मार्च में पोर्टल न खुलने के कारण समर्पण करना पढ़ा ।उत्तर मान्य नही है कारण 10/2016 में बजट आबंटन के बाद 50 प्रतिशत भुगतान किया गया था, अगर निदेशालय की 50 प्रतिशत भुगतान का आदेश न होता तो शतप्रतिसत भुगतान किया जा सकता था।

अतः वर्ष 2016-17 के दशोमोत्तर छात्रवृत्ति मद में अवितरित धनराशि ₹ 1134.46 लाख का समर्पण साथ ही 18799 लाभार्थी को बंचित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-2-धनराशि रू. 207428/- की सामग्री का टुकड़ों में क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेंट) नियमावली के नियम सं. 3(10) के अनुसार निम्नतर दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए। अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आकंलित मूल्य के संदर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए आवश्यक मात्रा को छोटे-छोटे भागों में विभक्त किया जाए।

साथ ही प्रक्योरमेंट नियमावली के नियम 34 के अनुसार अगर क्रय की जाने वाली सामग्री का मूल्य धनराशि रू. 50,000 से रू. 3,00,000 की सीमा के बीच हो तो समुचित स्तर के तीन सदस्यों की क्रय समिति गठित कर, दरों की युक्तियुक्तता गुणवत्ता तथा विशिष्टता सुनिश्चित करने के लिए बाजार सर्वेक्षण करेगी और उपयुक्त आपूर्तिकर्ता चिन्हित करेगी।

कार्यालय के स्टेशनरी/स्टॉक संबंधी क्रय पत्रावली की लेखापरीक्षा की जांच के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित दिनांक में कम्प्यूटर संबंधी सामग्री का क्रय बिना क्रय समिति का गठन कर सीधे बाजार से उक्त दोनों नियमों का उल्लंघन कर खरीदा गया।

दिनांक	**सामग्री का प्रकार**	**क्रय सामग्री की धनराशि**
30.12.2016	Desktop	42,945
31.12.2016	Desktop	42,945
02.01.2017	Desktop	42,945
03.01.2017	Desktop	47,723
07.01.2017	Desktop	30,870
कुल योग		**2,07,428**

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि धनराशि रू. 2,07,428 का क्रय एक साथ किया जा सकता था, परन्तु इसकों 5 टुकड़ों में विभाजित कर अधिप्राप्ति नियमावली के विरूद्ध किया गया। इकाई द्वारा इस संबंध में पूछे जाने पर बताया गया कि भविष्य में अधिप्राप्ति नियमावली का पालन करते हुए सामग्री का क्रय किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि 01 लैपटाप विभाग में NIC के संबंध कार्मिक श्री राजेश को आवंटित किया गया है, जो कि वित्तीय नियमानुसार लैपटाप आवंटित किये जाने योग्य नहीं है। इस आपत्ति पर इकाई द्वारा बताया गया कि कार्य की अधिकता को देखते हुए श्री राजेश को लैपटाप आवंटित किया गया। जो विभाग का स्थाई कर्मचारी भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति को लैपटाप आवंटित किया जाना वित्तीय नियमानुसार नहीं है।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, अतः धनराशि रू. 2,07,428 की सामग्री को टुकड़ों में क्रय किया जाना एवं वित्तीय नियमों का उल्लंघन किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ प्रस्तर सं0	भाग–दो ब प्रस्तर सं0	**STAN** प्रस्तर सं0
13	2010–11	शून्य	08	शून्य
26	2011–12	शून्य	01	01
47	2014–15	01	04	शून्य
38	2016–17	शून्य	10	01

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
उपरोक्त वर्णित अनिस्तारित प्रस्तरों के निस्तारण के सम्बन्ध में इकाई ने अगले उच्च अधिकारी निदेशक, समाज कल्याण को (वर्ष 2016–17) प्रेषित अनुपालन आख्या की प्रति उपलब्ध करायी जिस पर अगले उच्च अधिकारी की संस्तुति अप्राप्त है तथा कोई साक्ष्य अवलोकित नही कराया गया। अतः संस्तुति एवं साक्ष्य के अभाव में लेखापरीक्षा द्वारा निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही नहीं की जा सकी। शेष वर्षो के लम्बित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के सम्बन्ध में अवगत कराया कि वर्तमान स्थिति को लेते हुए शीघ्र ही तैयार कर उचित माध्यम से महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित कर दिया जाएगा।				

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग–5

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

( )

2. सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

( )

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	**नाम**	**पदनाम**
1	श्रीमती वर्षा	जिला समाज कल्याण अधिकारी
2	श्री पी0 सी0 जोशी	जिला समाज कल्याण अधिकारी

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **जिला समाज कल्याण अधिकारी, उधम सिंह नगर** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र